राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राईसेम)

10–बी, झालाना संस्थागत क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर
फोन नं. 2709827/2710072 फैक्स नं. 91–0141–2710072

29.3.23

क्रमांक फा. ( ) राइसेम/प्रदर्शनी वाहन/2013 /1032 दिनांकः 31/3/2023

:: बोली आमंत्रण सूचना ::

वर्ष 2023–24 हेतु राइसेम कार्यालय के प्रांगण में प्रदर्शनी वाहन (बस) में केफेटेरिया संचालन हेतु बोली

अनुमानित लागत 1,20,000 रू.

राइसेम कार्यालय परिसर में प्रदर्शनी वाहन (बस) में केफेटेरिया संचालन हेतु खुली बोली आमंत्रित की जाती है। बोली विहित बिड प्रारूप में प्रस्तुत की जावेगी। बिड सूचना एवं प्रपत्र राज्य लोक उपापन पोर्टल sppp.rajasthan.gov.in एवं www.ricem.org की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। बिड प्रपत्र/टेण्डर फार्म कार्यालय समय में दिनांक 11.04.2023 को प्रातः 11.00 तक प्राप्त किये जा सकते हैं इच्छुक बिडदाता केफेटेरिया संचालन हेतु खुली बोली में राइसेम कार्यालय में दिनांक 11.04.2023 अपरान्हः 1.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते है। प्राप्त बिड दिनांक 11.04.2023 को अपरान्हः 3.00 बजे उपस्थित बिडदाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी।

निदेशक, राइसेम

क्रमांक फा. ( ) राइसेम/प्रदर्शनी वाहन/2013 दिनांकः

प्रतिलिपिः– सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, सहकारी विभाग, राजस्थान, जयपुर को उक्त बोली सूचना किसी एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र के जयपुर संस्करण में प्रकाशन हेतु प्रेषित है।

निदेशक, राइसेम

राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राईसेम)

10–बी, झालाना संस्थागत क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर

फोन नं. 2709827 / 2710072 फैक्स नं. 91–0141–2710072

28.3.23

बोली प्रपत्र विक्रय प्रकाशन की तिथि 04.04.2023 से 11.04.2023 प्रातः 11:00 बजे तक
बोली प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 11.04.2023 को अपराह्न 1:00 बजे तक
बोली प्रपत्र खोलने की तिथि दिनांक 11.04.2023 को सायं 3:00 बजे
बोली प्रपत्र शुल्क रू. 500 / –

बोली प्रारूप

(कार्यालय प्रांगण में प्रदर्शनी वाहन (बस) में केफेटेरिया संचालन हेतु)

1. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पता..
....
....टेलीफोन..
2. जिसको सम्बोधित किया जाना हैः– निदेशक, राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान, जयपुर ।
3. सन्दर्भ बोली सूचना संख्या .... दिनांक ....
4. बोली प्रपत्र शुल्क राशि 500 / – रसीद संख्या....................................दिनांक..............................द्वारा जमा करा दी गई है।
5. वर्णित दरें वित्तीय वर्ष 2023–24 की अवधि के लिए मान्य होगी।
6. फर्म अथवा अधिकृत व्यक्ति का आयकर विभाग द्वारा जारी पेन व उसकी छाया प्रति संलग्न है।
7. बोलीदाता को दिए गए निर्देशों के अनुसार बोली, उचित रूप से मोहर बंद लिफाफे में बंद करनी चाहिए तकनीकी बोली प्रपत्र लिफाफा–1 में तथा वित्तीय बोली प्रपत्र लिफाफा–2 में सील बंद प्रस्तुत करना होगा। तकनीकी बोली में सफल बोलीदाता का ही द्वितीय बोली लिफाफा वित्तीय बोली खोला जावेगा।
8. जहाँ आवश्यक हो, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम लागू होंगे इसके साथ ही राज्य राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम–2012 व नियम– 2013 के प्रावधान इस बोली पर प्रभावशील होगें।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

बोलीदाता द्वारा घोषणा पत्र

मेरे/हमारे द्वारा प्रदत्त बिड संख्या .... दिनांक .... के अन्तर्गत राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा के अन्तर्गत एतद् घोषणा करता हूँ कि :–

1. यह कि राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राईसेम) को प्रस्तुत उक्त बिड्स से सम्बन्धित समस्त प्रकार की व्यावसायिक तकनीकी, आर्थिक एवं प्रबन्धकीय संसाधन आदि मेरे/हमारे पास उपलब्ध हैं।
2. यह कि मैं/ हम केन्द्र और राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा किसी भी प्रकार के देय करों की अदायगी के लिये बाध्य रहूँगा/रहेंगे।
3. यह कि मैं/हम किसी न्यायालय अथवा न्यायिक अधिकारी, आदाता द्वारा दिवालिया आदि घोषित नहीं हूँ/हैं और न ही उक्त कारणों से किसी प्रकार की कोई कार्यवाही विचाराधीन है।
4. यह कि विगत 3 वर्षों में मैं/हम और हमारे निदेशक व अधिकारियों में से कोई व्यावसायिक गतिविधि के कारण किसी आपराधिक गतिविधि में सजायाफ्ता नहीं है और ना ही किसी प्रकार के गलत तथ्यों व झूठी घोषणाओं के कारण निर्योग्य किये गये हैं।
5. यह कि मेरे/हमारे द्वारा बिड प्रपत्र ध्यानपूर्वक पढ लिया गया है और मैं/हम इसकी शर्तों/नियमों से पूर्णतया सहमत हूँ/हैं, जिसको मानने के प्रमाण स्वरूप समस्त प्रपत्रों पर हस्ताक्षर अंकित कर दिये हैं।
6. यह कि मैं/हम उक्त अधिनियम, नियम व बिड्स शर्तों से विपरीत कोई धारणा नहीं रखते हैं।

दिनांक : ....

स्थान : ....

हस्ताक्षर बोलीदाता

नाम...

पद...

पता...

....

मो0नं0...

राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राईसेम)
10—बी, झालाना संस्थागत क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर
फोन नं. 2709827 / 2710072 फैक्स नं. 91—0141—2710072

24.3.23

कार्यालय प्रांगण में प्रदर्शनी वाहन (बस) में केफेटेरिया संचालन हेतु शर्तें

टिप्पणीः— बोली से संबंधित शर्तों में प्रथम पक्ष से आशय निदेशक, राइसेम एवं द्वितीय पक्ष का आशय बोलीदाता से है, बोलीदाताओं को निम्नलिखित शर्तों के अनुसार बोली प्रस्तुत करनी है :—

1. यह है कि उक्त प्रदर्शनी वाहन (बस) को कैफेटेरिया के रूप में उपयोग किए जाने हेतु अनुबंध एक वर्ष की अवधि हेतु मान्य होगा।
2. यह है कि उक्त प्रदर्शनी वाहन (बस) के स्वामित्त्व पर द्वितीय पक्ष का कोई अधिकार नहीं होगा।
3. यह है कि उक्त प्रदर्शनी वाहन (बस) को द्वितीय पक्ष द्वारा 'As is, where is' आधार पर कैफेटेरिया के रूप में उपयोग किया जावेगा। यदि उक्त प्रदर्शनी वाहन (बस) को कैफेटेरिया के रूप में उपयोग किए जाने हेतु प्रदर्शनी वाहन के इंटीरियर में किसी प्रकार के फेरबदल अथवा मेन्टीनेन्स कार्य की आवश्यकता होती है तो द्वितीय पक्ष उक्त संबंध में प्रथम पक्ष को अवगत कराकर प्रथम पक्ष की लिखित सहमति प्राप्त किए जाने के पश्चात् ही उक्त फेरबदल अथवा मेन्टीनेन्स कार्य कराएगा, जिसका संपूर्ण व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जावेगा। प्रदर्शनी वाहन (बस) की साज—सज्जा तथा फर्नीचर की व्यवस्था भी द्वितीय पक्ष द्वारा ही की जावेगी। प्रदर्शनी वाहन (बस) के नियमित मेन्टीनेन्स की जिम्मेदारी भी द्वितीय पक्ष की ही होगी।
4. केफेटेरिया संचालन हेतु बस जैसी स्थिति में खडी है, उस स्थिति में प्रथम पक्ष द्वारा पानी एवं बिजली उपलब्ध कराया जावेगा। जिसका सम्पूर्ण खर्चा द्वितीय पक्ष द्वारा ही वहन किया जावेगा।
5. यह है कि उक्त प्रदर्शनी वाहन (बस) को कैफेटेरिया के रूप में संचालित करने पर होने वाले सभी प्रकार के खर्चे जैसे— कर्मचारी मासिक वेतन, कच्चा माल, मेन्टीनेन्स आदि द्वितीय पक्ष के द्वारा वहन किए जावेंगे।
6. यह है कि उक्त प्रदर्शनी वाहन (बस) में संचालित कैफेटेरिया द्वारा विक्रय किए गए खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा खाद्य लाईसेंस प्राप्त करने आदि की पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
7. यह है कि उक्त प्रदर्शनी वाहन (बस) व उसके इर्द—गिर्द वाले स्थान की सफाई व्यवस्था व स्वच्छता के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप रखने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
8. यह है कि उक्त प्रदर्शनी वाहन (बस) में संचालित कैफेटेरिया द्वारा विक्रय किए गए उत्पादों से होने वाली आय पर पूर्ण अधिकार द्वितीय पक्ष का होगा।
9. प्रथम पक्ष द्वारा कम से कम एक माह पूर्व नोटिस देकर द्वितीय पक्ष से उक्त प्रदर्शनी वाहन (बस) खाली कराया जा सकेगा तथा अनुबंध की समाप्ति पर यह प्रदर्शनी वाहन (बस) खाली करते समय द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदर्शनी वाहन (बस) अच्छी स्थिति में संभलवाया जावेगा।

10. प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा प्रदर्शनी वाहन (बस) का कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा।

11. प्रदर्शनी वाहन (बस) में अथवा कैफेटेरिया के संचालन में किसी भी प्रकार की अवैधानिक गतिविधियों एवं नियमों की अवहेलना के लिए द्वितीय पक्ष पूर्णतया उत्तरदायी होगा।

12. द्वितीय पक्ष कैफेटेरिया के संचालन से संबंधित सभी प्रकार के कर यथा निगम कर, आयकर, बिक्री कर आदि का भुगतान स्वयं करेगा।

13. द्वितीय पक्ष किसी को भी उक्त प्रदर्शनी वाहन (बस) को आगे किराए हेतु या कैफेटेरिया के संचालन हेतु सबलेट नहीं करेगा।

14. यदि इस अनुबंध में वर्णित किसी भी शर्त का द्वितीय पक्ष द्वारा किसी भी रूप में उल्लंघन किया जाता है तो प्रथम पक्ष तत्काल प्रभाव से अनुबंध को खत्म कर सकेगा।

15. द्वितीय पक्ष इस अनुबंध में वर्णित व्यवसाय की प्रकृति को परिवर्तित नहीं कर सकेगा।

16. द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को अग्रिम सिक्योरिटी पेटे दो माह हेतु निर्धारित किराया राशि जमा करायेगा। जमा अग्रिम पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं देय होगा।

17. यह है कि उक्त प्रदर्शनी वाहन (बस) के कैफेटेरिया के रूप में संचालन के सम्बन्ध में भविष्य में दोनों पक्षों के मध्य कोई वाद–विवाद होता है तो विवाद का निस्तारण करने के लिए प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर या उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी ही मध्यस्थ निर्णायक होगा।

18. द्वितीय पक्ष केफेटेरिया का संचालन संगत विधि के प्रावधानों के अनुसार करेगा।

19. द्वितीय पक्ष किराये का भुगतान संविदा के अनुसार करेगा।

20. द्वितीय पक्ष केफेटेरिया गतिविधियों से होने वाली सम्पत्ति से सम्बन्धित हानियों/नुकसान की क्षतिपूर्ति करेगा।

21. केफेटेरिया में नियुक्त स्टाफ को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार भुगतान करने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

22. सरकार एवं स्थानीय निकायों को देय करों का भुगतान द्वितीय पक्ष करेगा।

23. केफेटेरिया के स्टाफ की सुरक्षा की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

24. समस्त प्रकार की दुर्घटना के लिए नियमानुसार बीमा द्वितीय पक्ष को स्वयं के स्तर से करवाना होगा।

25. बोलीदाता द्वारा निर्धारित शर्तों की पालना करते हुए प्रदर्शनी वाहन के मासिक किराये की दर अंकों एवं शब्दों में वित्तीय प्रपत्र में स्पष्टतः अंकित की जावेगी, जिसमें किसी भी तरह का उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। काटा–पीटी होने पर बोलीदाता के लघु हस्ताक्षर होने चाहिए।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

29.3.23

बोलीदाता द्वारा घोषणा

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिस फर्म के लिए बोली दी है उनका/उनके/मैं प्राधिकृत सेवा प्रदाता हूँ।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी प्रकार की अन्य नियमानुसार कार्यवाई जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी अमानत राशि को पूर्ण रूप से समपहृत कर लिया जाएगा तथा बोली को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, को रद्द कर लिया जाएगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राईसेम)
10–बी, झालाना संस्थागत क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर
फोन नं. 2709827 / 2710072 फैक्स नं. 91–0141–2710072

लिफाफा–1

राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राइसेम) कार्यालय प्रांगण में प्रदर्शनी वाहन (बस) में केफेटेरिया संचालन हेतु हेतु

:: तकनीकी बोली प्रपत्र ::

मूल्य रू. 500 / – (निदेशक, राइसेम के नाम से देय)।

निविदा प्रतिभूति राशि रूपये 2400 / –

विड का अनुमानित मूल्य : 1,20,000 / – रूपये

बोली प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि : 11.04.2023 अपरान्ह 1:00 बजे तक

बोली खोलने की दिनांक : 11.04.2023 सांय 3:00 बजे

1.	बोलीदाता का नाम	
2.	बोलीदाता का स्थानीय पता (मय टेलीफोन / मोबाईल नम्बर)	
3.	बोलीदाता का स्थाई पता (मय टेलीफोन / मोबाईल नम्बर) साक्ष्य के लिए राशन कार्ड / मतदाता परिचय पत्र / पानी / टेलीफोन / बिजली के बिल की सत्यापित प्रति)	
4.	बोलीदाता द्वारा केफेटेरिया के संचालन का अनुभव प्रमाण पत्र। राज्य सरकार द्वारा जारी प्रमाण प्रति संलग्न करें। (यदि कोई हो)	
5.	बोलीदाता / फर्म का पैन नम्बर (फोटो प्रति संलग्न करें)	
6.	बोलीदाता / फर्म का जीएसटी नम्बर, अंतिम तिमाही (अक्टूबर, 2022 से दिसम्बर, 2022 तक) की रिटर्न (फोटो प्रति संलग्न करें)	
7.	खाध विभाग / नगर निगम के नियमों के अन्तर्गत प्राप्त रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें। (फोटो प्रति संलग्न करें)	
8	अन्य प्रमाण पत्र (फोटो प्रति संलग्न करें)	
9.	गत तीन वर्षों के वार्षिक लेखो की अंकेक्षित प्रतिलिपि (वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22)	
10.	गत तीन वर्षों के आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि संलग्न करें। (वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22)	
11.	गत छः माह का बैंक स्टेटमैंट का विवरण (दिनांक 28.02.2023 तक) संलग्न करें।	
12.	बोली प्रपत्र हेतु रसीद संख्या एवं दिनांक	रसीद संख्या .... दिनांक ....
13.	बोली प्रतिभूति राशि रूपये 2400 / – का विवरण	बैंक ड्राफ्ट / बैंक गारण्टी / बैंकर्स चैक संख्या .... दिनांक .... बैंक का नाम .... राशि ....

नोट :– उपरोक्तानुसार संलग्न सभी पत्रादि की फोटोप्रतियां स्वप्रमाणित होना अनिवार्य है।

राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राईसेम)

10—बी, झालाना संस्थागत क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर
फोन नं. 2709827 / 2710072 फैक्स नं. 91—0141—2710072

लिफाफा—2

:: वित्तीय बोली प्रपत्र ::

खुली बोली सूचना ....

इस कार्यालय के लिए वित्तीय वर्ष 2023—24 हेतु निम्नलिखित केफेटेरिया उपलब्ध करवाये जाने हेतु खुली बोली आमंत्रित की जाती है:—

1. बोलीदाता का नाम एवं पता ....

....

....

....

:: मूल्य सूची ::

क्र.सं.	विवरण	मासिक किराया राशि
1	2	3
1.	केफेटेरिया का न्यूनतम मासिक किराया 10,000 / — रू.	

नोट— बोलीदाता को किराया न्यूनतम दर 10,000 / — रू. प्रतिमाह रखते हुए स्तम्भ संख्या 3 में मासिक किराये की अधिकतम दर अंकित कर प्रस्तुत करनी होगी। आधार मूल्य से कम बोली पर विचार नहीं किया जावेगा।